23-02-2023

ग्रैमी पुरस्कार

समाचार पत्रों में क्यों?

म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे बड़े ग्रैमी अवॉर्ड्स के 65वें संस्करण की घोषणा कर दी गई है। संगीत की दुनिया का ऑस्कर कहा जाने वाला ग्रेमी अवार्ड इस बार फिर भारत की हिस्से में खुशियां लेकर आया है।

त्वरित मुद्दा?

- भारत के लिए खास रहा है, क्यूंकि तीसरी बार म्यूजिक कंपोजर रिकी केज ने ग्रैमी अवार्ड जीत कर भारत को गौरवान्वित किया है। रिकी को मिले ग्रैमी अवॉर्ड के बाद प्रधानमंत्री ने उन्हें बधाई दी है और पूरा देश इस समय उनपर गर्व महसूस कर रहा है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- ग्रैमी अवॉर्ड संगीत की दुनिया में अच्छा काम करने वालों को वार्षिक तौर पर दिया जाता है। ये अमेरिकी संस्था रिकॉर्डिंग अकादमी या नेशनल अकादमी रिकॉर्डिंग्स की ओर से दिया जाता है।
- इस अवार्ड की एक शर्त ये भी होती है किसी को ग्रैमी अवॉर्ड अवार्ड तभी दिया जाएगा जब उसने अपनी संगीत या रिकॉर्डिंग अमेरिका में रिलीज की हुई हो।

अन्य प्रमुख तथ्य?

कौन हैं रिकी केज?

- रिकी केज ने अपने अभी तक के करियर में संयुक्त राष्ट्र हेडक्वार्टर सहित कई प्रतिष्ठित जगहों पर प्रस्तुति दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार, रिकी ने दुनियाभर के 30 देशों में कुल 100 संगीत पुरस्कार जीते हैं। रिकी को उनके काम के लिए यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन आर्टिस्ट और यूथ आइकॉन ऑफ इंडिया के लिए नॉमिनेट किया जा चुका है। साल 2021 में रिलीज हुए उनके चर्चित एल्बम 'डिवाइन टाइड्स' में नौ गाने और आठ म्यूजिक वीडियो शामिल हैं।

- ग्रैमी अवॉर्ड एक गोल्ड प्लेटेड ग्रामोफोन के रूप में होती है और पहला अवार्ड 1959 में अमेरिका के लॉस एंजेलिस में आयोजित हुआ था। इस अवार्ड को कई कैटेगरी में दिया जाता है।
- रिकी केज के एल्बम "डिवाइन टाइड्स" (Divine Tides) को सर्वश्रेष्ठ इमर्सिव ऑडियो एल्बम कैटगरी में यह पुरस्कार दिया गया है। रिकी ने इस पुरस्कार को मशहूर ब्रिटिश रॉक बैंड 'द पुलिस' के ड्रमर स्टीवर्ट कोपलैंड के साथ शेयर किया है।
- रिकी केज का जन्म 1981 में अमेरिका में हुआ था। पंजाबी और मारवाड़ी परिवार से रिलेटेड केज आठ साल की उम्र में ही बैंगलोर चले गए और वंही के बिशप कॉटन बॉयज़ स्कूल में स्कूली शिक्षा पूरी की। केज ने ऑक्सफोर्ड डेंटल कॉलेज से मेडिकल भी किया है। उनके दादा जानकी दास एक अभिनेता थे, जिसके चलते कला उन्हें विरासत में मिली थी।

- बचपन से ही संगीत में रुचि होने के चलते रिकी ने रॉक बैंड ज्वाइन किया था। इसके बाद 2000 के दशक में, इन्होने संगीत को अपना करियर चुना और अकेले अपने कॅरियर की राह में चल पड़े। 20 साल के करियर में इन्होने 17 स्टूडियो एल्बम जारी करने के अलावा, 3500 से अधिक विज्ञापनों और कन्नड़ फिल्मों के लिए संगीत भी तैयार किया।
- रिकी केज को पर्यावरण संरक्षक के तौर पर भी जाना जाता है। इन्हें COP-14 में UNCCD लैंड एम्बेसडर नामित किया गया था। इसमें इन्हें भूमि क्षरण, मरुस्थलीकरण और सूखे की चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गयी थी। रिकी ने यूनेस्को-एमजीआईईपी में "दयालुता के वैश्विक राजदूत" के रूप में भी कार्य किया है।
- रिकी को पहली बार ग्रेमी अवार्ड साल 2015 में "विंड्स ऑफ संसार" के लिए मिला था। इसके बाद इन्हें दूसरा ग्रेमी अवार्ड साल 2022 में स्टीवर्ड कोपलैंड के साथ "बेस्ट न्यू एज" एल्बम के लिए मिला। इस बार रिकी को जो अवार्ड मिला है उन्होंने अपने इस अवार्ड को भारत को समर्पित किया है।

बी.वी.आर सुब्रमण्यम

समाचार पत्रों में क्यों?

केंद्र सरकार ने बी.वी.आर सुब्रमण्यम को परमेश्वरन अय्यर के स्थान पर नीति (NITI) आयोग का नया मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया है।

त्वरित मुद्दा?

- कार्मिक मंत्रालय के अनुसार, अगले दो साल तक बीवीआर सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ रहेंगे, जबकि परमेश्वरन अगले तीन सालों तक विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के तौर पर जिम्मेदारियों को संभालेंगे।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- बी.वी.आर सुब्रमण्यम 1987 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आएएस अधिकारी रह चुके हैं। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने दो साल के लिए भारत व्यापार संवर्धन संगठन के चेयरमैन और प्रबंधन निवेशक नियुक्त किए गए।
- ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के ओएसडी की जिम्मेदारी भी संभाला चुके हैं। तथा साल जून 2018 में इन्हें जम्मू-कश्मीर का चीफ सेक्रेटरी बनाया गया था।
- बी.वी.आर को नक्सली विचारधारा और

अन्य प्रमुख तथ्य?

संरचना;

- **अध्यक्ष:** प्रधानमंत्री
- **उपाध्यक्ष:** प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त
- **संचालन परिषद:** सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल।
- **क्षेत्रीय परिषद:** विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिये प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित व्यक्ति मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता करता है।
- **तदर्थ सदस्यता:** अग्रणी अनुसंधान संस्थानों से बारी-बारी से 2 पदेन सदस्य।
- **पदेन सदस्यता:** प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम चार सदस्य।
- **मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO):** भारत सरकार का सचिव जिसे प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है।
- **विशेष आमंत्रित:** प्रधानमंत्री द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ।

नक्सलियों से निपटने का अच्छा खासा अनुभव भी है। सुब्रमण्यम को आंतरिक सुरक्षा मामलों का एक्सपर्ट माना जाता है।

- बीजेपी के साथ पीडीपी का गठबंधन टूटने के बाद ही उन्हें 2018 में जम्मू-कश्मीर भेज दिया गया था। वो छत्तीसगढ़ में अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) के पद पर भी रह चुके हैं।
- योजना आयोग को 1 जनवरी, 2015 को एक नए संस्थान नीति (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।
- इसका उद्देश्य 'सहकारी संघवाद' की भावना को प्रतिध्वनित करते हुए अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार की परिकल्पना के लिये 'बॉटम-अप' दृष्टिकोण पर जोर देना है।

शत्रु संपति

समाचार पत्रों में क्यों?

गृह मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कस्टोडियन ऑफ इनेमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया (सीईपीआई) ने शत्रु संपत्ति बेच 3407.08 करोड़ रुपये प्राप्त किए हैं।

त्वरित मुद्दा?

- जहां एक ओर पड़ोसी देश पाकिस्तान, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में अपने दूतावास की एक इमारत को बेचकर पैसे जुटा रहा है। वहीं भारत सरकार ने शेयरों और सोने सहित दुश्मनों की संपत्तियों का निपटान करके 3,400 करोड़ रुपये से अधिक जुटाए हैं।(Disposing of enemy properties) ये संपत्ति भारत के पूर्व निवासियों की थी, जिन्होंने विभाजन के दौरान और 1962 और 1965 के युद्धों के बाद पाकिस्तान और चीन की नागरिकता लेने के लिए देश छोड़ दिया था।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- शत्रु संपत्तियां उन लोगों की होती है जो विभाजन के दौरान भारत छोड़कर चले गए थे या फिर 1962, 1965 और 1971 के युद्ध के बाद चीन और पाकिस्तान की नागरिकता ले ली।

अन्य प्रमुख तथ्य?

देश में शत्रु संपत्ति के आंकड़े

- दुश्मन संपत्तियों की सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश 6,255 में हैं। इसके बाद पश्चिम बंगाल में 4,088, दिल्ली में 659, गोवा में 295, महाराष्ट्र में 208, तेलंगाना में 158, गुजरात में 151, त्रिपुरा में 105, बिहार में 94, मध्य प्रदेश में 94, छत्तीसगढ़ में 78 और हरियाणा में 71 संपत्तियां हैं।
- केरल में 71, उत्तराखंड में 69, तमिलनाडु में 67, मेघालय में 57, असम में 29, कर्नाटक में 24, राजस्थान में 22, झारखंड में 10, दमन और दीव में चार और आंध्र प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक-एक शत्रु संपत्तियां हैं।

- शत्रु संपत्ति एक और तरह की भी होती है। जब दो देशों में युद्ध छिड़ जाए तब भी सरकार अपने दुश्मन देश के नागरिकों की मुल्क में मौजूद प्रॉपर्टी एक तरह से जब्त कर लेती है। ताकि दुश्मन देश लड़ाई के दौरान उसका फायदा न उठा सके। ऐसा दुनिया भर में होता रहा है। वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और ब्रिटेन ने जर्मन्स की प्रॉपर्टी यूं ही कब्जे में कर ली थी।

- गृह मंत्रालय के 2018 में दिए जानकारी के मुताबिक देश में पाकिस्तान और चीन जा चुके लोगों की करीब एक लाख करोड़ रुपए की संपत्तियां हैं, जिसमें से 9280 पाकिस्तानी नागरिकों की हैं और 126 संपत्तियां चीनी नागरिकों की हैं।
- शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में फैला हुआ है और यह भारत के बाहर भारत के सभी नागरिकों और भारत में पंजीकृत या निगमित कंपनियों या निकायों की भारत के बाहर शाखाओं और एजेंसियों पर भी लागू होता है।
- शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो भारत में शत्रु संपत्ति के कस्टोडियन के रूप में नियुक्त है। केंद्र सरकार, उस कस्टोडियन / संरक्षक के माध्यम से, देश के राज्यों में फैली दुश्मन संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने के लिये प्रयासरत है।

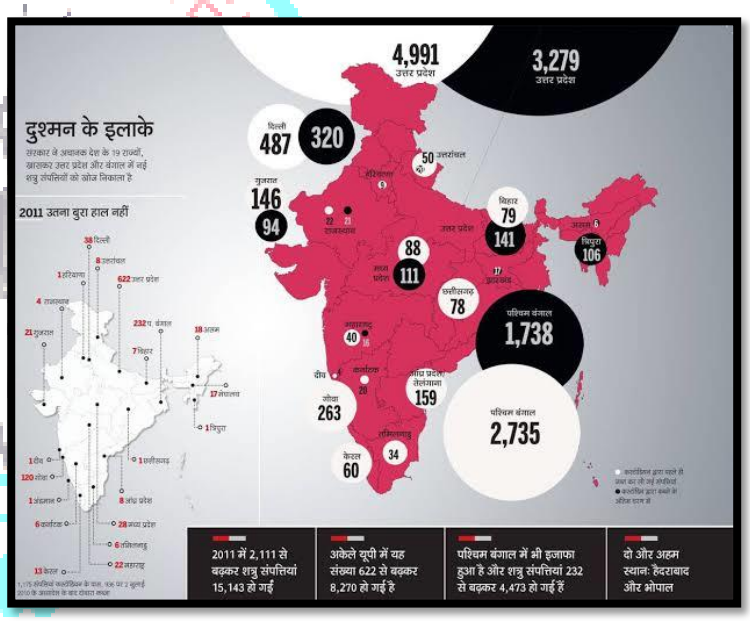

- वर्ष 2017 में भारतीय संसद ने शत्रु संपत्ति (संशोधन और सत्यापन) विधेयक, 2016 पारित करके शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 और सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत व्यवसायियों का निष्कासन) अधिनियम, 1971 में संशोधन किया। जिसके अनुसार:
  - यदि कोई शत्रु संपत्ति कस्टोडियन के अंतर्गत है, तो यह शत्रु, शत्रु विषयक अथवा शत्रु फर्म का विचार किये बिना उसके अंतर्गत ही रहेगी।
  - यदि मृत्यु आदि जैसे कारणों की वजह से शत्रु संपत्ति के रूप में इसे स्थगित भी कर दिया जाता है, तो भी यह कस्टोडियन के ही निहित रहेगी। उत्तराधिकार का कानून शत्रु संपत्ति पर लागू नहीं होगा।
  - शत्रु अथवा शत्रु विषयक अथवा शत्रु फर्म के द्वारा कस्टोडियन में निहित किसी भी संपत्ति का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता।
  - कस्टोडियन शत्रु संपत्ति की तब तक सुरक्षा करेगा, जब तक अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप इसका निपटारा नहीं होता।

न्यू स्टार्ट संधि

समाचार पत्रों में क्यों?

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की है कि रूस अमरीका के साथ हुए शस्त्र नियंत्रण समझौते (न्यू स्टार्ट संधि) में अपनी भागीदारी स्थगित कर रहा है।

त्वरित मुद्दा?

- नई सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि - न्यू स्टार्ट रूस और अमरीका के बीच परमाणु शस्त्र संधि है, जिसकी अवधि 2021 में पांच वर्षों के लिए बढ़ाई गई थी। पराग में वर्ष 2010 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे और 2011 से इसे लागू कर दिया गया था।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- यह संयुक्त राज्य अमेरिका और रूसी संघ के बीच एक परमाणु हथियार कमी संधि है, जिसका औपचारिक नाम START (Measures for the Further Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms) है।
- इस पर 8 अप्रैल 2010 को प्राग में हस्ताक्षर किये गए थे, और पुष्टि के बाद 5 फरवरी 2011 को प्रभाव में आई थी।
- नई START संधि ने मास्को की संधि (SORT) को प्रतिस्थापित किया, जो दिसंबर 2012 में समाप्त होने वाली थी।

अन्य प्रमुख तथ्य?

रूस के इस संधि से अलग होने का प्रभाव क्या होगा ?

- न्यू स्टार्ट संधि से रूस के हटने से अमेरिका के साथ परमाणु हथियारों की होड़ फिर शुरू हो सकती है।
- पुतिन ने खुद ऐलान किया है कि रूस अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियारों का विकास शुरू करेगा। रूस के पास पहले से ही दुनिया में सबसे अधिक परमाणु हथियार हैं। ताकत के मामले में भी रूसी परमाणु हथियार दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली हैं।
- ऐसे में रूस नए हथियार बनाने के लिए परमाणु परीक्षण भी कर सकता है। रूस का मुकाबला करने के लिए अमेरिका भी परमाणु हथियारों के पीछे दौड़ सकता है। इससे दुनिया में परमाणु हथियारों की रेस फिर से शुरू हो सकती है।

- न्यू स्टार्ट संधि की अवधि दस साल यानी वर्ष 2021 तक थी, जिसे पाच साल और बढ़ाकर वर्ष 2026 तक कर दिया गया था
- रणनीतिक परमाणु मिसाइल लांचरों की संख्या आधी हो जाएगी।
- SORT तंत्र की जगह एक नई निरीक्षण और सत्यापन व्यवस्था स्थापित की जाएगी।
- तैनात रणनीतिक परमाणु वारहेड्स की संख्या 1,550 तक सीमित रहेगी जो मूल START संधि से लगभग

दो-तिहाई कम है, साथ ही 2002 की मास्को संधि की तैनात रणनीतिक वारहेड सीमा से 10% कम है।

- यह तैनात और गैर- तैनात अंतर-महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) लॉन्चर्स, पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल (SLBM) लॉन्चर और परमाणु आयुध से लैस भारी बमवर्षक की संख्या को 800 तक सीमित कर देगा। तैनात ICBM, SLBMS और परमाणु आयुध के लिए सुसज्जित भारी बमवर्षक विमान की संख्या 700 तक सीमित होगी।

KAUTILYA ACADEMY INDORE